संख्याः /XVII-B-1/2025–05(05)/2020 E-56955

प्रेषक,

डॉ0 पराग मधुकर धकाते,
विशेष सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

अल्पसंख्यक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः अक्टूबर, 2025

विषय– उत्तराखण्ड राज्य हज समिति के उपयोगार्थ वाहन की अनुमन्यता प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–341/नि.अ.क./हज समिति/ई–90042/2025–26, दिनांक 11 जुलाई, 2025 के द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य हज समिति के विभागीय कार्यों को सुचारू रूप से क्रियान्वित किये जाने हेतु वाहन की नितान्त आवश्यकता होने के दृष्टिगत मासिक किराये के आधार पर निम्नांकित प्रतिबन्धों/शर्तों के अधीन 01 वाहन (Four Wheeler) किराये/आउटसोर्स पर लिये जाने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. वाहन किराये/आउटसोर्स पर लिये जाने के संबंध में परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–212/IX-1/2018/2011/2023, दिनांक 17 फरवरी, 2023 का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. उक्तानुसार किराये/आउटसोर्स पर लिये जाने वाले वाहन का उपयोग अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति के माध्यम से केवल विभागीय आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।
3. उक्तानुसार किराये/आउटसोर्स पर लिये गये वाहन का व्ययभार/भुगतान उत्तराखण्ड राज्य हज समिति द्वारा अपने संसाधनों से किया जायेगा तथा शासन स्तर से इस हेतु वर्तमान में पृथक से कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की जा रही है।
4. वाहन किराये/आउटसोर्स पर लिये जाने के संबंध में **परिवहन/वित्त विभाग/शासन के समस्त दिशा–निर्देशों/शासनादेशों तथा अधिप्राप्ति नियमावली** का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

भवदीय,
Digitally signed by Parag Madhukar Dhakate
Date: 2025.10.11 11:42:43
(डॉ0 पराग मधुकर धकाते)
विशेष सचिव।

संख्या : ( )/XVII-B-1/2025–05(05)/2020 E-56955 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/मा0 अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
2. महालेखाकार, ऑडिट, कौलागढ़ रोड, देहरादून।
3. अधिशासी अधिकारी, उत्तराखण्ड राज्य हज समिति, पिरान कलियर, रूड़की, जिला हरिद्वार।
4. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, हरिद्वार।
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
उप सचिव।